न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1145 सन 2020

अनवान :–

1. मैनादेवी पत्नी शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गंगाधर पुत्र शंकरलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. राजकुमार पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. जैता उर्फ ज्योति पुत्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. सुमनदेवी पुत्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 09/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 492/486 की कुल तादादी 8.6630हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/20 ,1/20 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पति शंकरलाल पुत्र लाधुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा वर्तमान में मुश्तरका खाते में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया जा चुका है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादीया के पुत्र है ने परिवारिक बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि में अपने हकों का त्याग वादीया के पक्ष में किया जाकर अन्य खाते में भूमि अपने नाम रख ली है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जो वादीया के पुत्र/पुत्रीया है के नाम से दर्ज भूमि को वादीया खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता शंकरलाल पुत्र लाधुराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी माता वादीया के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया

गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 492/486 की कुल तादादी 8.6630हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/20 ,1/20 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पति शंकरलाल पुत्र लाधुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा वर्तमान में मुश्तरका खाते में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 वादी की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया जा चुका है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादीया के पुत्र है ने परिवारिक बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि में अपने हकों का त्याग वादीया के पक्ष में किया जाकर अन्य खाते में भूमि अपने नाम रख ली है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 492/486 की कुल तादादी 8.6630हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/20 ,1/20 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सें दर्ज है।

वादीया का कथन है कि वाद भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम मुश्तरका खाते में उसके पति शंकरलाल के देहान्त होने के बाद दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री

किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 492/486 की कुल तादादी 8.6630हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/20 ,1/20 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया 1/4 हिस्सा की खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 09/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मैनादेवी पत्नी शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 गंगाधर पुत्र शंकरलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. राजकुमार पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. जैता उर्फ ज्योति पुत्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. सुमनदेवी पुत्री शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1145 सन 2020 निर्णय दिनांक– 09/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 492/486 की कुल तादादी 8.6630हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/20 ,1/20 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया 1/4 हिस्सा की खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/03/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते